"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2012—आषाढ़ 15, शक 1934

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2012

क्रमांक 02/चार/राष्ट्रपति-चु./2012/928.—उप राष्ट्रपति निर्वाचन-2012 के लिये भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 480/2012-CC & BE, दिनांक 06 जुलाई, 2012 एवं अधिसूचना संख्या-480/2012 (I)-CC & BE, दिनांक 06 जुलाई, 2012 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुमार कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 6 जुलाई, 2012—आषाढ़ 15, 1934 (शक)

अधिसूचना

संख्या 480/2012-सी.सी. एण्ड बी.ई.—यत:, मो. हामिद अंसारी, भारत के उपराष्ट्रपति की पदावधि, संविधान के अनुच्छेद 67 की शर्तों पर, 10 अगस्त, 2012 को समाप्त हो रही है ; और

यत: पदधारित उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने तथा उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व, इस प्रकार उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से, संविधान के अनुच्छेद 68 के खण्ड (1) की शर्तों पर निर्वाचन कराया जाना है ; और

यत: राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन हेतु तारीख इस तरह प्रकार नियत की जानी अपेक्षित है कि निर्वाचन ऐसे समय तक पूर्ण हो जाए और निर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पद 11 अगस्त, 2012 को ग्रहण करने में समर्थ हो सकें;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन के लिए :—

(क)	नाम निर्देशन की अन्तिम तारीख	:	20 जुलाई, 2012 (शुक्रवार)
(ख)	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	21 जुलाई, 2012 (शनिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	23 जुलाई, 2012 (सोमवार)
(घ)	वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान होगा	:	07 अगस्त, 2012 (मंगलवार)

नियत करता है.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एन. भार)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated the 6th July, 2012—Asadha 15, 1934 (Saka)

NOTIFICATION

No. 480/2012-CC&BE.—Whereas, the term of office of Mohd. Hamid Ansari, Vice-President of India, is upto 10th day of August, 2012, in terms of Article 67 of the Constitution; and

Whereas, an election is due to be held, in terms of clause (1) of Article 68 of the Constitution, to fill the vacancy to be caused by the expiration of the term of office of the incumbent Vice-President before the expiration of term of his office; and

Whereas, under sub-section (3) of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India is required to so appoint the dates for the election to fill the office of the Vice-President of India that the election will be completed at such time as will enable the Vice-President thereby elected to enter upon his office on the 11th day of August, 2012;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Election Commission hereby appoints, in respect of the said election :—

(a)	Last date of making nomination	20-07-2012 (Friday)
(b)	Date for the scrutiny of nominations	21-07-2012 (Saturday)
(c)	Last date for the withdrawal of candidatures	23-07-2012 (Monday)
(d)	Date on which a poll shall, if necessary, be taken	07-08-2012 (Tuesday)

By order,

Sd/-
(K. N. BHAR)
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 6 जुलाई, 2012—आषाढ़ 15, 1934 (शक)

अधिसूचना

संख्या 480/2012 (1)-सी.सी. एण्ड बी.ई.—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा;

(क) अपनी दिनांक 6 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं. 480/2012-सी.सी. एण्ड बी.ई. के अनुसार उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान कमरा सं. 63, संसद भवन, नई दिल्ली नियत करता है; और

(ख) 10.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न दोनों को सम्मिलित करते हुए तक का समय ऐसे समय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त स्थान पर मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एन. भार)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated the 6th July, 2012—Asadha 15, 1934 (Saka)

NOTIFICATION

No. 480/2012 (1)-CC&BE.—In pursuance of rule 8 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission hereby;

(a) fixes Room No. 63, Parliament House, New Delhi as the place of polling for the Vice-President Election to be held in accordance with its Notification No. 480/2012-CC & BE dated the 6 July, 2012; and

(b) specifies the hours from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. both inclusive to be the hours during which the poll, if necessary, will be taken at the said place of polling.

By order,

Sd/-
(K. N. BHAR)
Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.